प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Pr. Chief Commissioner
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और के. उ. शु. लखनऊ परिक्षेत्र
Central GST & Cen. Excise, Lucknow Zone
७-अ, अशोक मार्ग, लखनऊ
7-A, Ashok Marg, Lucknow
E-mail: ccu-cexlko@nic.inPh./FAX: 0522-2233-052 / 124

<u>आर.टी.आई. सम्बंधित/समयबद्ध</u>

परिपत्र संख्या- 02/RTI/2024
दिनांक-09-10-2024

विषय: सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों के प्रभावी और समयबद्ध निपटान हेतु

प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जोन लखनऊ के सभी अनुभागों का ध्यान आर टी आई अधिनियम, 2005 के तहत धारा 5 की उप-धारा (4) और (5) की ओर आकर्षित किया जाता है (प्रतिलिपि संलग्न)|

2. सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदन का निस्तारण एक समय बद्ध मामला है, तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 5 के खंड 5 के अंतर्गत संबंधित अनुभाग के द्वारा समुचित सूचना समय पर उपलब्ध कराना इस कार्यालय की सम्मिलित जिम्मेदारी है, जो की अधिनियम में इस प्रकार वर्णित है |

"कोई अधिकारी, जिससे उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिये ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा|"

3. प्रायः यह देखा गया है कि आरटीआई आवेदनों के माध्यम से मांगी गई सूचना केवल तभी प्रदान की जाती है जब समय सीमा समाप्त होने वाली होती है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां संबंधित अनुभागों द्वारा कोई अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है| इस कारण आवेदक को सूचना प्रदान करने से पहले संबंधित अनुभागों के उत्तर की जांच करने के लिए सीपीआईओ के पास बहुत कम/कोई समय नहीं बचता है।

4. इस बात पर बल दिया जाता है कि अनुरोधित सूचना, यदि उपलब्ध हो, आरटीआई आवेदन के संप्रेषण के 15 दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए, ताकि आवेदक को सूचना प्रदान करने से पहले अनुभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की सीपीआईओ द्वारा उचित जांच की जा सके।

Signed by
Om Krishna Pathak
Date: 09-10-2024 13:30:22

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी व सहायक आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. सभी सम्बंधित अनुभाग, प्र.मु.आ.का., सीजीएसटी, लखनऊ ।
2. नोटिस बोर्ड ।
3. अधीक्षक, सिस्टम शाखा, प्र.मु.आ.का., सीजीएसटी, लखनऊ को जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।